

अध्याय II

उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन

शुल्क यथा मूल्य दरों पर उत्पाद शुल्क योग्य पण्यों की विस्तृत रेंज पर प्रभारित होता है। ऐसे माल का मूल्यांकन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का अवधारण) नियमावली 2000 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4 द्वारा शासित होता है। विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में खुदरा बिक्री कीमत के सन्दर्भ मूल्यांकन उपरोक्त अधिनियम की धारा 4ए द्वारा शासित होता है। ₹ 101.86 करोड़ के राजस्व वाले गलत मूल्यांकन के कारण शुल्क के कम उद्ग्रहण के कुछ मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किए गए हैं। ये आपत्तियाँ 14 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं। विभाग ने ₹ 1.83 करोड़ के राजस्व विवक्षा के 2 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की थीं (दिसम्बर 2010 तक)।

2.1 मूल्य में अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4(3) (डी) विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को प्रभार्य माल का संव्यवहार मूल्य में ऐसे माल पर वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा वास्तविक रूप से देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि शामिल नहीं होगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया (30 जून 2000) कि संव्यवहार के समय आस्थगित कर और बाद में न भुगतान योग्य पाये गये, निर्धार्य मूल्य से कटौती योग्य नहीं था। मैसर्स आन्ध्रा आक्सीजन प्रा. लिमिटेड बनाम (अधिकरण-कोलकाता) {2003 (156) 239} के मामले में सीगेट ने पाया कि क्रेताओं से संग्रहीत किया गया और बिक्री कर विभाग को प्रदत्त नहीं किया गया जब इसे बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त था, तब उसे निर्धारितियों को अतिरिक्त प्रतिफल मिला के रूप में समझा जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमावली 2000 के नियम 6 में अनुबद्ध है उन मामलों में जहाँ कीमत एक मात्र प्रतिफल नहीं थी, वहाँ निर्धार्य मूल्य क्रेता से निर्धारिती को प्रत्यक्ष रूप अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कीमत और अतिरिक्त प्रतिफल के धन मूल्य के जोड़ पर आधारित होना चाहिए।

2.1.1 महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के आस्थगित भुगतान की पैकेज प्रोत्साहन योजना चालू की थी जिससे निर्धारिती को क्रेता से बिक्री कर संग्रहण और रोक रखने और आस्थगन की निर्धारित अवधि के बाद भुगतान के लिए अनुमत किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया और आस्थगित बिक्री कर देयता के अपरिपक्व पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए नवम्बर 2002 में एक अधिसूचना जारी की।

विभिन्न उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगे रायगढ़ कमिशनरी में मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज, नासिक में थाइसेन क्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे I में मैसर्स इन्डुरेंस टैक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड थाणे I में मैसर्स गार्जियन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे III में मैसर्स हाईटेक प्लास्ट लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अन्तर्गत 2007-09 के वर्षों के दौरान बिक्री कर का अपरिवर्त्य भुगतान का विकल्प दिया था। निर्धारितियों के अभिलेखों से यह पता लगा था कि उन्होंने निवल वर्तमान मूल्य पर उपचित बिक्री कर देयता का अपरिपक्व/ पूर्व भुगतान के कारण ₹ 718.77 करोड़ का संचयी बट्टा प्राप्त किया। बिक्री कर राशि संग्रहीत किन्तु सरकार को प्रदत्त नहीं, एक अतिरिक्त आय थी और निर्धार्य मूल्य में जोड़े जाने के लिए दायी थी। इस अतिरिक्त आय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 97.45 करोड़ के शुल्क का उद्ग्रहण हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच विभाग/मंत्रालय को इसकी सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय ने समान मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और 2009-10 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 के पैरा 3.2.1 में उल्लेख किया गया था।

2.1.2 आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बिक्री कर के आस्थगित भुगतान के लिए कतिपय प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध करायी थीं जिससे निर्धारिती को क्रेता से बिक्री कर संग्रहण और उसे रोक रखने और निर्धारित अवधि के बाद पुनर्भुगतान करने के लिए अनुमत किया गया था। इसके आगे सरकार ने निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) घटक पर आधारित बट्टा दर पर आस्थगित बिक्री कर देयता के अपरिपक्व भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराया था।

गुन्टुर, हैदराबाद I, II, III, IV, तिरुप्पति और विशाखापट्टनम I कमिशनरियों में विभिन्न उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगे बारह निर्धारितियों ने उपरोलिखित योजना के अन्तर्गत 1995-96 और 2007-08 वर्षों के बीच ₹ 17.61 करोड़ की बिक्री कर देयता के अपरिपक्व भुगतान का विकल्प दिया जिस पर सरकार ने ₹ 5.25 करोड़ का बट्टा अनुमत किया। इस प्रकार ग्राहकों से संग्रहीत वास्तविक बिक्री कर और एनपीवी पर बट्टाकृत दर पर किए गए भुगतान के बीच अंतर निर्धारितियों के लिए अतिरिक्त आय हुई और वह निर्धार्य मूल्य में जोड़े जाने के लिए दायी हुआ था। निर्धार्य मूल्य में इस अतिरिक्त आय के शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 83.64 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2009 और मार्च 2010) तब विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया (मार्च 2010) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। दो अन्य निर्धारितियों के संबंध में विभाग ने बताया (मई और जून 2010) कि सरकार द्वारा दिया गया बट्टा धारा 4(3) (डी) के अनुसार निर्धारिती को अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सका और विनिर्माता द्वारा आस्थगति बिक्री कर के पूर्व भुगतान पर अर्जित ब्याज क्रेता द्वारा बिक्रेता को दिया गया

लाभ नहीं था और इसलिए बोर्ड के परिपत्र दिनांक 4 दिसम्बर 2002 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बट्टा क्रेता से बिक्री कर के रूप में निर्धारितियों से पहले वास्तविक रूप में संग्रहीत राशि थी किन्तु उसको सरकार को भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए उसे अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में रोका गया था। अतएव उसपर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। अन्य निर्धारितियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2 उत्पाद शुल्क माल की लागत का गलत अवधारण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का अवधारण) नियमावली 2000 के नियम 9 की उपशर्त के साथ पठित नियम 8 में यह विनिर्दिष्ट है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा नहीं बेचे जाते हैं किन्तु उसके द्वारा अथवा अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में निर्धारिती के सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा उपभुक्त होते हैं वहाँ ऐसे माल का निर्धार्य मूल्य ऐसे माल की उत्पादन या विनिर्माण लागत का एक सो दस प्रतिशत होना चाहिए। इसके आगे बोर्ड ने स्पष्ट किया (13 फरवरी 2003) कि आंतरिक रूप से उपयुक्त माल का मूल्य मात्र लागत लेखांकन मानक (सीएएस-4) के अनुसार अवधारित होना चाहिए।

2.2.1 हल्दिया कमिशनरी में पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में लगे मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आर डी) ने मध्यवर्ती माल अर्थात् स्ट्रेट रन गैस ऑयल (एसआरजीओ) की अपनी सहयोगी इकाई मैसर्स आईओसीएल, बरौनी रिफाइनरी को उत्पाद शुल्क योग्य माल के उत्पादन में आगे उपयोग के लिए निकासी की। निर्धारिती ने उस मूल्य पर शुल्क का भुगतान करते हुए एसआरजीओ के 11,019.522 टन की निकासी की जो उस मूल्य से निम्नतर था जिस पर शुल्क का भुगतान करना चाहिए। हमने पाया कि निर्धारिती ने नियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के अवधारण के बजाय एसआरजीओ के निर्धार्य मूल्य के रूप में भट्टी तेल की लागत मनमाने ढंग से अपनायी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ के शुल्क का कम उद्घरण हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2008) तब विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया (मई 2010) कि कारण बताओ एवं माँग नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.2 हैदराबाद IV कमिशनरी में मैसर्स पाटिल स्टील वायर लिमिटेड और लखनऊ कमिशनरी में मैसर्स वैकमेट पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड जो विभिन्न उत्पादनशुल्क योग्य माल

के विनिर्माण में लगे थे, ने लाभ मार्जिन के 10 प्रतिशत को जोड़े बिना लागत डाटा पर निकाले गए निर्धार्य मूल्य पर शुल्क भुगतान करने वाली सहयोगी इकाई को माल की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 76.94 लाख के शुल्क के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 4.55 करोड़ के माल का कम मूल्यांकन हुआ।

हमारे द्वारा सूचित किए जाने पर (सितम्बर और नवम्बर 2009 के बीच) विभाग ने बताया (फरवरी और मार्च 2010) कि दोनों मामलों में अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.83 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.3 खुदरा बिक्री कीमत के आधार पर मूल्यांकन

अध्याय 33 (कास्मेटिक अथवा प्रसाधन वस्तुएं) के अधीन पड़ने वाले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वस्तुएं धारा 4ए के अन्तर्गत निर्धारण की जाती हैं क्योंकि ये धारा 4ए के अन्तर्गत अधिसूचित थीं।

गुवाहटी कमिशनरी में "हिमानी नवरत्न केश तेल" और "हिमानी गोल्ड टर्मरिक क्रीम" के विनिर्माण में लगे मैसर्स हर्बो फाउन्डेशन प्रा. लिमिटेड बामुनीमैदान, गुवाहटी ने ₹ 268.72 लाख के संव्यवहार मूल्य पर अप्रैल 2008 और दिसम्बर 2009 के बीच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत इन उत्पादों की निकासी की। इन उत्पादों के पैकेजें पर अंकित एमआरपी से ज्ञात हुआ कि ये उत्पाद अध्याय 33 के अन्तर्गत अंततः वर्गीकरणीय थे और ग्राहकों को ये कास्मेटिक्स अथवा प्रसाधन वस्तुएं ₹ 808.14 लाख के मुद्रित एमआरपी पर बेचे गये थे और एमआरपी से छूट की अनुमति देने के बाद तदनुसूली निर्धार्य मूल्य ₹ 525.29 लाख बनता था। धारा 4ए के अन्तर्गत निर्धार्य मूल्य उस मूल्य से उच्चतर था जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 42.06 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (मार्च 2010) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2010) कि निर्धारिती ने अध्याय 30 के अन्तर्गत इन दो उत्पादों का वर्गीकरण गलत किया था और रक्षात्मक माँग एवं कारण बताओ नोटिस अप्रैल 2010 में जारी किया जा चुका था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.4 उत्पाद शुल्क योग्य माल का पूर्णतः मूल्यांकन नहीं किया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 जुलाई 2000 से प्रभावी) की धारा 4(1) में विनिर्दिष्ट है कि जहाँ उत्पाद शुल्क उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य पर प्रभार्य है वहाँ ऐसा मूल्य निर्धारिती द्वारा बेचे गये माल का संव्यवहार मूल्य होगा और बिक्री का लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है। उक्त अधिनियम की धारा 4(3) (डी) बेचे गए माल के

लिए संव्यवहार मूल्य को वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत और कीमत के रूप में प्रभारित राशि के अलावा कोई राशि जिसे क्रेता अथवा निर्धारिती की ओर से भुगतान के लिए दायी होता है, कारणवश अथवा बिक्री के संबंध में चाहे वह बिक्री के समय अथवा किसी अन्य समय देय के रूप में परिभाषित करती है।

नागपुर कमिशनरी में मैसर्स एपीआर पैकेजिंग लिमिटेड अस्ति (अब मैसर्स बिल्ट अस्ति) ने रील फार्म में "कोपियर पेपर" और "मैपलिथो एमएस पेपर" का विनिर्माण किया और शीट फार्म में परिवर्तन के लिए अपने कटिंग सेन्टरों को शुल्क के भुगतान पर निकासी की। इन कटिंग सेन्टरों से माल फैक्टरी गेट पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क से उच्चतर मूल्य पर असम्बन्धित क्रेताओं को बेचे गये थे। मूल्य में अंतर प्रति टन ₹ 1,350 से ₹ 2,050 तक था। चूंकि माल कटिंग सेन्टरों पर बेचे गये थे इसलिए माल का संव्यवहार मूल्य कटिंग सेन्टरों पर उद्भूत हुआ था और अतएव शुल्क असम्बद्ध क्रेताओं से प्रभारित संव्यवहार मूल्य पर उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2005 से जून 2007 तक की अवधि के दौरान ₹ 49.43 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2006, अक्तूबर 2007 और दिसम्बर 2009) तब विभाग ने अक्तूबर 2005 से फरवरी 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 80.85 लाख के शुल्क की माँग करने वाले कारण बताओ नोटिस जारी किए। दिसम्बर 2005 से नवम्बर 2007 तक की अवधि के लिए ₹ 12 लाख की शास्ति के साथ ₹ 29.67 लाख की माँग की पुष्टि अधिनिर्णयन प्राधिकारी (अप्रैल और अगस्त 2007) द्वारा की गई थी। निर्धारिती की अपील पर अपीलीय आयुक्त (अपील) ने भी अधिनिर्णयन अधिकारी के आदेश को ही सही ठहराया (अगस्त 2007)। उसके बाद आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध निर्धारिती की अपील सीस्टेट के समक्ष लम्बित थी। तथापि, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया (मार्च 2008 और दिसम्बर 2009 के बीच) कि मैसर्स एसआर टिशू प्रा. लिमिटेड {2005 (186) ईएलटी (एससी)} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मैसर्स शेषाई पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड के {2006 (194) ईएलटी 457} के मामले में सीस्टेट के निर्णय के अनुसार रील को शीट में परिवर्तन विनिर्माण नहीं होता है और अतएव कटिंग प्रभार में विनिर्माण के बाद में खर्च हैं, शुल्क के लिए दायी नहीं थे। यह भी बताया गया था कि मंत्रालय ने 3 जनवरी 2001 को स्पष्ट किया कि कोई शुल्क फैक्टरी से बाहर मूल्य संवर्धन पर प्रभारित नहीं हो सकेगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और 1 जुलाई 2000 से पूर्व के मामलों से संबंधित मंत्रालय के स्पष्टीकरण उस समय के थे जब पूर्व संशोधित धारा 4 प्रभावी थी। संशोधित धारा 4 के अन्तर्गत मूल्यांकन की सम्पूर्ण योजना पूर्णतः परिवर्तित की गई थी और संव्यवहार मूल्य की नई संकल्पना 1 जुलाई 2000 से प्रभावी हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.5 मालभाड़े एवं अन्य प्रभारों को शामिल न करना

अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए शब्द "संव्यवहार मूल्य" का तात्पर्य बेचे गए माल के लिए वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत है और उसमें वह राशि शामिल होती है जिसको बिक्री के संबंध में निर्धारिती को भुगतान के लिए क्रेता दायी होता है चाहे वह बिक्री के समय अथवा किसी अन्य समय पर देय होता है इसमें परिवहन बीमा प्रभार इत्यादि शामिल होता है।

हैदराबाद III कमिशनरी में काटन यार्न/पालीएस्टर यार्न के विनिर्माण में लगे मैसर्स सूर्य लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड, महबूबनगर ने अपने परेषण एजेन्ट को स्टाक का हस्तांतरण किया। बिक्री बिन्दु अर्थात् परेषण एजेन्ट के परिसर स्थान तक खर्च किए गए भाड़ा और बीमा प्रभार माल के निर्धार्य मूल्य में शामिल होने थे। तथापि, निर्धारिती ने निर्धार्य मूल्य में इन प्रभारों में शामिल नहीं किया था। निर्धार्य मूल्य से ऐसे प्रभारों को हटाने से 2003-04 से 2004-05 वर्षों के दौरान ₹ 7.25 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसी प्रकार, हैदराबाद I कमिशनरी में वितरण ट्रसंफार्मरों के विनिर्माण में लगे मैसर्स विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रुद्राम ने क्रेताओं द्वारा विनिर्दिष्ट गन्तव्यों तक माल की निकासी की निर्धारिती द्वारा प्रभारित कीमतें कम्पोजिट प्राइस थीं जिसमें भाड़ा, बीमा इत्यादि की लागत शामिल थी। माल को मार्गस्थ बीमा कवर के अन्तर्गत भेजा गया था जिसका खर्च निर्धारिती द्वारा वहन किया जाना था और इन सभी मामलों में माल का मालिकाना क्रेताओं द्वारा विनिर्दिष्ट गन्तव्य तक माल पहुँचने के बाद ही क्रेताओं के पास गया था। इस प्रकार बिक्री बिन्दु तक खर्च किए गए भाड़ा एवं बीमा प्रभार माल के निर्धार्य मूल्य में शामिल होने थे। निर्धार्य मूल्य से ऐसे प्रभारों को हटाने से वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 10.60 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। कुल ₹ 17.85 लाख का शुल्क दोनों मामलों में ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2004 और अप्रैल 2010) तक विभाग ने मैसर्स सूर्य लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड के संबंध में ₹ 8.65 लाख (ब्याज सहित) की वसूली सूचित की (अगस्त 2006)। मैसर्स विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.6 मुफ्त वितरित नमूनों का मूल्यांकन

जहां माल बेचा नहीं जाता है वहाँ उद्ग्रहण का मूल्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का अवधारण) नियमावली 2000 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार अवधारित किया जाना चाहिए। नियम में है कि मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत माल भेजने के समय के करीब समय पर सुपुर्दगी के लिए निर्धारिती द्वारा बेचे गए समान माल के मूल्य पर आधारित हो जो यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे माल और

निर्धारण के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य माल की सुपुर्दगी की तारीखों में अंतर जैसाकि उचित प्रतीत हो के समायोजन के अध्यधीन होगा। बोर्ड ने 25 अप्रैल 2005 को स्पष्ट भी किया था कि निःशुल्क वितरित चिकित्सक नमूनों का मूल्य उक्त मूल्यांकन नियमावली 2000 के नियम 4 के अन्तर्गत अवधारित होना चाहिए।

हैदराबाद IV कमिशनरी में पी और पी दवाओं तथा सौन्दर्य प्रसाधन के विनिर्माण में लगे मै. फार्मासिया लि ने एमआरपी के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान पर अन्तिम उत्पादों की निकासी की। निर्धारिती ने नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य के स्थान पर ₹ 40 लाख के सहमत मूल्य पर ₹ 5.77 लाख के शुल्क भुगतान पर चिकित्सक नमूनों यथा डर्माडियू एलो क्रीम, डर्माडियू एलो लोशन तथा डर्माडियू केलो लेशन की निकासी की। नियम 4 के अनुसार अपनाए जाने वाला मूल्य ₹ 106.20 लाख बनता था जिस पर ₹ 15.31 लाख का शुल्क देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.54 लाख का कम भुगतान हुआ जो ₹ 1.63 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2009) तब विभाग ने सूचित किया (मार्च 2010) कि मार्च 2008 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के लिए ₹ 12.87 लाख के शुल्क की मांग वाला कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।